तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी / टीए / 2004 / 5228 / दौसा** **प्रभात्या बनाम रामेश्वर व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल–पीठ (मुकाम जयपुर)
श्री हरि शंकर गोयल, सदस्य

उपस्थित :–
श्री हेमन्त सोगानी, अभिभाषक प्रार्थी
श्री उमेश गौड, अभिभाषक अप्रार्थी

दिनांक : 29 जुलाई, 2021

निर्णय

1– यह निगरानी अन्तर्गत धारा–230 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत विद्वान भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर कैम्प दौसा के निर्णय दिनांक 22–7–2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2– निगरानी के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अप्रार्थीगण ने स्थाई निषेधाज्ञा हेतु दिनांक 27–6–1997 को एक दावा प्रार्थी एवं प्रारूपिक अप्रार्थी संख्या–6 लगायत8 के विरूद्ध यह अंकित करते हुये प्रस्तुत किया कि ग्राम मांगाभाटा, तहसील व जिला दौसा स्थित भूमि हाल खसरा नम्बर–603, 604, 607, 620, 621, 622, 630 लगायत 636, 651 लगायत 653, 636/912, 755/940, 756/941 व 607/909 कुल किता 21 रकबा 5.53 हैक्टर वादीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि है। निगराकार ने विचारण न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का प्रस्तुत किया जिसमें कथन किया कि प्रतिवादीगण की खातेदारी की भूमि उक्त भूमि के समीप है परन्तु वे बदनीयती से वादीगण की भूमि पर अनुचित हस्तक्षेप कर वादीगण को परेशान करते हैं इसलिये उन्हें अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे। प्रतिवादीगण / अप्रार्थीगण ने जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि उक्त खसरा नम्बर–755/940, 756/941 उनकी खातेदारी की भूमि है। विचारण न्यायालय ने सहायक कलेक्टर (प्रथम) दौसा ने उभय पक्षों को सुनकर दिनांक 27–7–2001 को अपने निर्णय द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अस्वीकार कर कर दिया। जिसके विरूद्ध प्रार्थीगण

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी / टीए / 2004 / 5228 / दौसा</u>** **प्रभात्या बनाम रामेश्वर व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	ने विद्वान भू प्रबन्ध अधिकारी एवे पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर कैम्प दौसा के समक्ष एक अपील पेश की। जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 22-7-2004 द्वारा उसे निरस्त फरमा दिया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है। 3- बहस उभयपक्ष सुनी गयी। 4- प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने निगरानी मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय दिनांक 22-7-2004 एवं 27-7-2001 तथ्यों एवं कानून के विपरीत होने की वजह से निरस्तनीय है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने वास्तविक मुद्दे को समझे बिना कतई परवर्स निर्णय पारित किये हैं जो पूर्णतया अवैध होने की वजह से निरस्तनीय है। साबिक खसरा नम्बर-132 रकबा 9 बीघा 18 बिस्वा जिसके हाल नये नम्बर-755/940 व 756/941 बने, जो अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज कर दिये गये। उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर उक्त विवादित भूमि प्रार्थी की खातेदारी की भूमि होना साबित होती है परन्तु फिर भी दोनों विद्वान अधीनस्थ न्यायालयों ने उसे पूर्णतः नजरअंदाज कर प्रश्नाधीन निर्णय पारित किया है और इस प्रकार अपने अधिकारों के प्रयोग में गम्भीर अवैधानिकता एवं अनियमितता की। अतः निगरानी स्वीकार कर दोनों अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22-7-2004 एवं 27-7-2001 निरस्त किये जाने का निवेदन किया। 5- विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण ने बहस का जवाब देते हुये कथन किया कि अप्रार्थीगण विवादित भूमि खसरा नम्बर-755/940 रकबा 0.13 हैक्टर व खसरा नम्बर-756/941 रकबा 0.08 हैक्टर अप्रार्थीगण की खातेदारी में है जो कि मिलान क्षेत्रफल के अनुसार साबिक खसरा नम्बर-101/1 से बने हैं। उक्त दोनों खसरा नम्बर निगराकार की खातेदारी में कभी नहीं थे। इसके अतिरिक्त निगराकार के साबिक कुल किता 3 रकबा 19 बीघा 3 बिस्वा के हाल 31 खसरा नम्बर बने जिनका रकबा 5.87 हैक्टर है। साबिक रकबा 19 बीघा 3 बिस्वा का हाल रकबा	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी / टीए / 2004 / 5228 / दौसा** **प्रभात्या बनाम रामेश्वर व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	4.78 हैक्टर होना चाहिये था लेकिन निगराकार के खाते में 5.87 हैक्टर दर्ज है जो 1.09 हैक्टर अधिक है। निगराकार ने केवल एक खसरा नम्बर-132 के संबंध में प्रकरण प्रस्तुत किया है जबकि इसके खाते में खसरा नम्बर-147, 149 और भी हैं। उनके बारे में कुछ भी नहीं कहा है। अतः निगराकार क्लीन हैंड से नहीं आया है। अधीनस्थ दोनों न्यायालयों ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 को खारिज करके विधिसम्मत, न्यायसंगत व तर्कसंगत निर्णय पारित किया है। इस निगरानी में कोई सारभूत व महत्वपूर्ण तथ्य नहीं होने के कारण यह निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है। 6- हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया गया। 7- पत्रावली का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि जमाबन्दी संवत 2033-2036 के अनुसार आराजी खसरा नम्बर-147, 149 व 132 किता 3 रकबा 19 बीघा 3 बिस्वा निगराकार प्रभात्या पुत्र पांचू कौम मीना साकिन देह की खातेदारी में है। निगराकार का कथन है कि साबिक खसरा नम्बर-132 रकबा 9 बीघा 18 बिस्वा से जिसका रकबा 2.50 हैक्टर बनता है जिसका हाल रकबा कुल 2.37 हैक्टर बना है जो कि साबिक के मुकाबले 0.13 हैक्टर कम है। आराजी खसरा नम्बर-755/940 रकबा 0.13 हैक्टर व 756/941 रकबा 0.8 हैक्टर अप्रार्थीगण के खाते में दर्ज कर दिये हैं जो कि जो कि साबिक खसरा नम्बर-132 से बने हैं। मिलान क्षेत्रफल के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उक्त दोनों खसरा नम्बर साबिक खसरा नम्बर-101/1 से बने हैं। निगराकार के खाते में कुल 19 बीघा 3 बिस्वा भूमि थी जो कि 4.78 हैक्टर बनती है जिसका हाल रकबा 5.87 हैक्टर उसके खाते में दर्ज है जो कि 1.09 हैक्टर अधिक है। इसलिये निगराकार के पक्ष में न तो प्रथम दृष्ट्या मामला बनता है और न ही सुविधा का संतुलन निगराकार के पक्ष में है और न ही अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त निगराकार के पक्ष में नहीं बनता है। अतः दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी / टीए / 2004 / 5228 / दौसा</u>** **प्रभात्या बनाम रामेश्वर व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	निर्णय विधिसम्मत, न्यायसंगत व तर्कसंगत है। 8- अतः उपर्युक्त विवेचन के अनुसार यह निगरानी खारिज की जाती है तथा विद्वान भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर कैम्प दौसा का निर्णय दिनांक 22-7-2004 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड लौटाया जाये। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(हरि शंकर गोयल)** **सदस्य**	